

बिहार सरकार,
कृषि विभाग।

पत्र संख्या- पी0पी0एम0-32/2016- 3221
प्रेषक,

/कृ0, पटना, दिनांक 22-07-2016

प्रभु राम
निदेशक, प्रशासन-सह-अपर सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

महालेखाकार, बिहार,
वीरचन्द्र पटेल पथ, पटना।

(+) अनौपचारिक रूप से परामर्शित। द्वारा : वित्त विभाग, बिहार, पटना। (+)

विषय : कृषि यांत्रिकरण कार्यक्रम का वित्तीय वर्ष 2016-17 में 17500.00 लाख रुपये (एक अरब पचहतर करोड़ रुपये) मात्र की लागत से राज्य योजना मद से कार्यान्वयन एवं व्यय की स्वीकृति एवं इसके अधीन तत्काल राज्य योजना से अनुसूचित जातियों के लिए 3500.00 लाख रुपये (पैंतीस करोड़ रुपये) की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति।

आदेश : स्वीकृत।

निदेशानुसार कहना है कि राज्य सरकार द्वारा कृषि रोड मैप के अधीन कृषि यांत्रिकरण कार्यक्रम का वित्तीय वर्ष 2016-17 में 17500.00 लाख रुपये (एक अरब पचहतर करोड़ रुपये) मात्र की लागत से राज्य योजना मद से कार्यान्वयन एवं व्यय की स्वीकृति एवं इसके अधीन तत्काल राज्य योजना से अनुसूचित जातियों के लिए 3500.00 लाख रुपये (पैंतीस करोड़ रुपये) की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. आधुनिक कृषि में कृषि यंत्रों की भूमिका महत्वपूर्ण है। इसके उपयोग से लघु एवं सीमांत किसान ससमय शष्प क्रियाओं का निष्पादन कर सकेंगे। कृषकों को चावल एवं गेहूँ के उत्पादन दर में वृद्धि लाने हेतु यंत्रों पर अनुदान दिये जाने के फलस्वरूप उत्पादन लागत में कमी आयेगी तथा उत्पाद का गुणवत्ता भी बढ़ेगा। राज्य में कृषि यांत्रिकरण को बढ़ावा देने के लिए गुणवतायुक्त आधुनिक कृषि यंत्रों पर अनुदान दिया जा रहा है। इसके परिणाम स्वरूप आधुनिक कृषि यंत्रों जैसे कम्बाईन हार्वेस्टर, स्ट्रा रीपर, स्ट्रा वेलर, पावर वीडर, लेजर लैण्ड लेवलर, जीरो टिलेज, पावर टीलर, रोटोवेटर, रीपर कम बाईन्डर, मखाना पॉपिंग मशीन, मिनी राईस मिल इत्यादि के उपयोग से गुणात्मक रूप से उत्पादन में वृद्धि हुई है। राज्य में कृषि के सर्वांगीण विकास के लिए कृषि यांत्रिकरण कार्यक्रम को तीव्र गति प्रदान करने की आवश्यकता है।

3. दिनांक 05.02.2016 को आहुत राज्य स्तरीय तकनीकी समिति की बैठक में फोर्लिंग सिंचाई पाईप के सम्बंध में यह निर्णय लिया गया कि BIS/ISI द्वारा निर्धारित पारामीटर के अनुसार परिष्कित एवं प्रमाणित HDPE Laminated Woven Lay Flat Tubes के निर्माता द्वारा निर्मित पाईप को ही वित्तीय वर्ष 2016-17 से अनुदानित योजना में शामिल किया जायेगा।

4. भारत सरकार कृषि सहकारिता, एवं किसान कल्याण मंत्रालय के पत्रांक 1-6/2013-OS(TMOP),volII-दिनांक 22.01.2016 द्वारा NMOOP योजनान्तर्गत सिंचाई पाईप के अनुदान दर में संशोधन किया गया है। पूर्व में HDPE सिंचाई पाईप पर अनुदान 25 रू0 प्रति मी0 की दर से 600 मीटर लम्बाई तक ही एक किसान को अधिकतम 15000 हजार रू0 मात्र अनुदान देने का प्रावधान था, लेकिन भारत सरकार से प्राप्त पत्र के आलोक में HDPE सिंचाई पाईप का अनुदान दर 50/- रूपया प्रति मीटर एवं HDPE Laminated Woven Lay Flat Tubes पर 20/- रूपये प्रति मी0 का अनुदान दर निर्धारित किया गया है। यह संशोधन दर भारत सरकार द्वारा 01 अप्रैल 2016 से लागू करने का निदेश दिया गया है। इसके लिए Lay Flat Tubes के

20/7/16

अधिकतम 100 मीटर का एक Unit होगा जिसपर लाभार्थी को अनुदान देय होगा। इस कार्यक्रम के तहत सिंचाई स्रोत से खेतों तक पानी ले जाने हेतु किसानों को अनुदानित दर पर वितरण किया जायेगा।

5. कृषि यांत्रिकरण योजना में पारदर्शिता एवं जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए मेकेनाइजेशन सॉफ्टवेयर के माध्यम से ऑन लाईन आवेदन लेने, आवेदन जाँच करने, किसानों को स्वीकृति पत्र निर्गत करने तथा अनुदान भुगतान की व्यवस्था वर्ष 2014-15 से प्रारंभ की गई है। मेकेनाइजेशन सॉफ्टवेयर को किसानों के हित में वर्ष 2016-17 में भी अपडेट करते हुए लागू किया जायेगा।

6. प्रत्येक पाँच वर्ष पर कृषि यंत्र की उपलब्धता का आकलन किसी स्वतंत्र एजेन्सी का चयन कर की जायेगी एवं प्लांटर, शक्ति चालित वीडर तथा थ्रेसर को के0भी0के0 में प्रत्यक्षण एवं प्रशिक्षण के माध्यम से प्रचार प्रसार कराया जायेगा।

7. स्वीकृत राशि में से जिलों को पंचायत की संख्या के आधार पर राशि का आवंटन किया जायेगा। जिलों में विभिन्न यंत्रों की मांग को देखते हुए विगत वर्ष 2015-16 में ट्रैक्टर, पम्पसेट, ट्रैक्टर ट्रेलर एवं फोल्डिंग सिंचाई पाईप का जिलावार लक्ष्य राज्य स्तर से निर्धारित किया गया था। वित्तीय वर्ष 2016-17 में ट्रैक्टर एवं ट्रैक्टर (हाइड्रोलिक) ट्रेलर को अनुदानित कार्यक्रम से हटा दिया गया है। इस वित्तीय वर्ष में Performance Indicator में तीन कृषि यंत्र क्रमशः कम्बाइन हार्वेस्टर, पावर टीलर एवं जीरोटिल/सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल को शामिल किया गया है। इसलिये उक्त दो कृषि यंत्रों के अतिरिक्त इन तीनों यंत्रों का भौतिक लक्ष्य भी राज्य स्तर से निर्धारित किया जायेगा तथा शेष यंत्रों का अनुदान पर वितरण जिलों को आवंटित निर्धारित वित्तीय लक्ष्य की अधिसीमा में जिला कृषि पदाधिकारी कृषकों द्वारा विभिन्न यंत्रों के मांग के अनुरूप करेंगे। पम्पसेट, फोल्डिंग सिंचाई पाईप, कम्बाइन हार्वेस्टर, पावर टीलर एवं जीरोटिल/सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल से सम्बंधित जिलावार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य एवं शेष यंत्रों का जिलावार वित्तीय लक्ष्य से सम्बंधित विवरणी अनुसूची-1 तथा अनुदान दर से सम्बंधित विवरणी अनुसूची-2 संलग्न है।

8. वित्तीय वर्ष 2015-16 में यांत्रिकरण मेला के अतिरिक्त मेला के बाहर भी कृषि यंत्रों का क्रय करने पर अनुदान देने का प्रावधान किया गया था। जो वित्तीय वर्ष 2016-17 में भी लागू रहेगा। अनुदानित योजना में शामिल होने के लिए कृषि यंत्र निर्माताओं/विक्रेताओं को भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थानों से परीक्षित/प्रमाणित एवं कृषि विभाग में पंजीकृत होना आवश्यक है। इच्छुक कृषकों को कृषि यंत्र पर अनुदान प्राप्त करने के लिए ऑन लाईन आवेदन करना अनिवार्य होगा। सक्षम प्राधिकार द्वारा ऑन लाईन स्वीकृति पत्र निर्गत करने के पश्चात् ही कृषि यांत्रिकरण मेला अथवा मेला के बाहर कृषक अपनी इच्छानुसार कृषि यंत्र का क्रय कर सकेंगे। किसान द्वारा यंत्र क्रय करने के बाद अनुदान दावा संबंधित किसान द्वारा जिला कृषि कार्यालय में समर्पित किया जायेगा। जिला कृषि पदाधिकारी द्वारा प्राप्त दावा पत्र के अलोक में यंत्रों का भौतिक सत्यापन कराकर अनुदान की राशि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रान्सफर (डी0बी0टी0) के अन्तर्गत सम्बंधित लाभार्थी के बैंक खाते में RTGS/NEFT के माध्यम से भुगतान 15 दिनों के अन्दर किया जायेगा। मेला में अधिक से अधिक यंत्र निर्माताओं को आमंत्रित किया जायेगा ताकि कृषकों को आधुनिक कृषि यंत्रों के बारे में अद्यतन जानकारी हासिल हो सके। किसी प्रकार की अनियमितता में संलिप्त होने पर संबंधित पदाधिकारी/विक्रेता/ आपूर्तिकर्ता/ किसान के विरुद्ध विधिसम्मत कार्रवाई की जायेगी।

9. कृषि यांत्रिकरण कार्यक्रम के लिए निर्धारित कार्यान्वयन अनुदेश के अनुसार योजना का कार्यान्वयन किया जायेगा। जिलावार/मदवार निर्धारित लक्ष्य एवं कार्यान्वयन अनुदेश में आवश्यकता होने पर आवश्यक संशोधन प्रशासी विभाग द्वारा किया जायेगा। किसानों के हित में कोई भी नई कृषि यंत्रों को कृषि विभागीय यूनिट कॉस्ट कमिटी की अनुशंसा के आलोक में अनुदानित कार्यक्रम में शामिल करने का अधिकार प्रशासी विभाग को होगा।

10. वित्त विभाग के परामर्श के अनुसार योजनान्तर्गत स्वीकृत राशि Subsidy के रूप में प्रशासी विभाग द्वारा सम्बंधित जिला कृषि पदाधिकारी को आवंटित किया जायेगा। सम्बंधित जिला कृषि पदाधिकारी सम्बंधित लाभुक किसानों के सूची के आधार पर अनुदान राशि को कोषागार से आहरण कर लाभुक किसान के बैंक खाते में सीधे DBT(Direct Benefit Transfer) प्रोग्राम के तहत RTGS/NEFT के माध्यम से हस्तांतरित किया



जायेगा। जिन कृषकों का अभी तक बैंक खाता नहीं खुला है उनका बैंक खाता खोलवाना अनिवार्य है। जिला स्तर पर जिला कृषि पदाधिकारी योजना कार्यान्वयन के लिए पूर्णतः जिम्मेवार होंगे।

11. कृषि निदेशक, बिहार, पटना को राज्य स्तरीय कृषि यांत्रिकरण मेला (एग्रो बिहार) एवं प्रोग्रामर के मानदेय भुगतान हेतु आवंटन उपलब्ध कराया जायेगा।

12. जिला कृषि पदाधिकारी द्वारा उपयोगिता प्रमाण पत्र कृषि विभाग को उपलब्ध करायी जायेगी एवं इसकी प्रति महालेखाकार बिहार के कार्यालय को भेजी जायेगी। साथ ही बिहार वित्तीय नियमावली के अनुरूप अंकक्षित लेखा विवरणी उपलब्ध कराने की भी अनिवार्यता होगी। जिला कृषि पदाधिकारी द्वारा इस योजना के लिए अलग से लेखा संधारण किया जायेगा। महालेखाकार बिहार को अंकक्षण का अधिकार होगा। इस योजना के नियंत्री पदाधिकारी कृषि निदेशक, बिहार होंगे।


13. निकासी के लिए स्वीकृत 3500.00 लाख रुपये (पैंतीस करोड़ रुपये) का व्यय मुख्य शीर्ष 2401-फसल कृषि कर्म- मांग सं०-1 उप मुख्य शीर्ष-00-लघु शीर्ष-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना- उपशीर्ष-0120-प्रमोशन ऑफ एग्रीकल्चरल मैकानाइजेशन, विपत्र कोड- P2401007890120, राज्य योजना स्कीम कोड-AGR-5025, विषय शीर्ष 3301 सब्सिडी में वर्ष 2016-17 में उपबंधित 3500.00 लाख रुपये से विकलनीय होगा।

14. मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग की अधिसूचना संख्या 602 दिनांक 20.3.2007 एवं वित्त विभाग के संकल्प संख्या-96 वि० (2) दिनांक 03.01.08 में निहित प्रावधान के आलोक में उक्त योजना के कार्यान्वयन में मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति दिनांक: 05.07.2016 को प्राप्त है। तत्संबंधी स्वीकृति संचिका संख्या- पी०पी०एम०-32/2016 के पृ०सं०- 18/टि. पर प्राप्त है।

15. वित्त विभागीय परिपत्र संख्या-7355 वि० (2) दिनांक 05.10.2007 के आलोक में महालेखाकार, बिहार, पटना से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

16. राज्यादेश प्रारूप में आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या- पी०पी०एम०-32/2016 के पृ०सं०- 22/टि. पर दिनांक- 18.07.2016 को प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,



(प्रभु सम)

निदेशक, प्रशासन-सह-अपर सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक 3221

/कृ०, पटना, दिनांक 22-07-2016


प्रतिलिपि : प्रभारी पदाधिकारी, अंकक्षण, महालेखाकार (ले० एवं ह०) कार्यालय, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


निदेशक, प्रशासन-सह-अपर सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक 3221

/कृ०, पटना, दिनांक 22-07-2016

प्रतिलिपि : योजना एवं विकास विभाग/मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग एवं वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


निदेशक, प्रशासन-सह-अपर सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।



